1962 Batch IAS Officers Serving on International Agencies

2222. SHRI MATANG SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Officers of 1962 batch of Indian Administrative Service who are presently serving on international agencies and their names; and

(b) the number and the names of Officers of 1962 batch of I.A.S. have been empanelled as Secretaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA): (a) 3 IAS Officers of 1962 batch are presently serving on international agencies. Their names are as follows:—

Sl. No.	Name of the Officer, Cadre & Year of allotment	Name of the International Organisation
1.	Shri A. Hoda, IAS (BH : 62)	GATT
2.	Shri Samar Singh, IAS (MP : 62)	WWLF
3.	Shri K. Madhava Sarma, IAS (TN : 62)	UNEP

(b) 23 officers of the 1962 batch of IAS have been approved for empanelment to hold Secretary level posts in the Secretariat and three officers have been approved to hold non-Secretariat Secretary level posts, at the Centre.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए राज्य सरकारों की सहमति

2223. श्री ईश दत्त यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी मामले की जांच के लिए संबंधित राज्य सरकारों की सहमति लेना अनिवार्य है ;

(ख) यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत ऐसा किया जाना अनिवार्य है ;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार से सहमति मांगी है ; और

(घ) किन राज्यों ने अपनी सहमति दे दी थी और किन राज्यों ने सहमति देने से इंकार कर दिया था ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के नियम 6 के अधीन ।

(ग) तथा (घ) सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के अलावा सभी राज्य सरकारों के लिए भारतीय दंड संहिता की संगत धारा तथा अन्य केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन सामान्य सहमति उपलब्ध है ।

निम्नलिखित राज्यों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत आंशिक सहमति दे रखी है :—

(1) आन्ध्र प्रदेश

(2) हिमाचल प्रदेश

(3) पश्चिम बंगाल

(4) उत्तर प्रदेश

(5) असम

(6) पंजाब

(7) मध्य प्रदेश

हरियाणा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत सहमति नहीं दी है ।

Paperless Examination System for U.P.S.C.

2224. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for paperless competitive examination to be conducted by the U.P.S.C.;

(b) if so, the details thereof; and